Email: rajeswary.cbse@gmail.com Tel: 011-23231248
Website: www.cbseacademic.nic.in

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002

के.मा.शि.बो./शै/शि.अ./प.र/2016 **10th जून, 2016**

परिपत्र संख्या 19/2016

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2016

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का वर्ष 2016 के बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस का केन्द्र बिन्दु श्रम और आपूर्ति श्रृंखला है। आपूर्ति श्रृंखला उत्पादन और वितरण की निहित गतिविधियों/प्रक्रियाओं का अनुक्रम है। वैश्वीकरण के साथ आपूर्ति श्रृंखला तीव्रता से जटिल हो गई है। बाल श्रम अधिकांशत: आपूर्ति श्रृंखला में होता है जहाँ कार्य छोटी कार्यशालाओं या घरों से किया जाता है और अधिकांशत: फर्म के श्रृंखला के शीर्षस्थ को पता नहीं चल पाता है। अपर्याप्त शिक्षा व्यवस्था इन खतरों में बढ़ोत्तरी करता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों एवं स्थानीय समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए, संबद्ध विद्यालयों को आगे बढ़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। इस तथ्य के बारे में कि बच्चों के अधिकारों का हनन रोकने योग्य हैं, न कि अपरिहार्य। इस सामाजिक समस्या की रोकथाम का सर्वोत्तम तरीका इसमें निहित कारणों को अच्छी तरह से समझना और प्रत्येक अवसर पर उनका समाधान करना है।

प्रतियोगिताओं के बारे में:

विद्यालय आधारित परियोजना

12 जून से 12 अगस्त 2016 तक की जानी है

I. पहले से ही सूचना प्राप्त करना और योजना बनाना:

i. समुदाय में बाल श्रम को समाप्त करने को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करें।
ii. कम सौभाग्यशाली बच्चों के लिए समानुभूति विकसित करें।
iii. साथियों, शिक्षकों और समुदाय के प्रमुखों के साथ सार्थक बातचीत करें।
iv. क्रियाकलाप करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करें, रिकार्ड रखें।
v. विद्यालय के साथियों और समुदाय में उत्साह के साथ संदेश प्रसारित करें।
vi. अपनी रिपोर्ट के लिए संदर्भित आंकड़े और फोटो प्रतियों के साक्ष्य एकत्र करें, आपकी रचना/ प्रहसन/रिपोर्ट में विश्लेषण निहित गहन जानकारी और परियोजना के संवहन के लिए विद्यालय द्वारा की गई रचनात्मक कार्यवाही

परिलक्षित होनी चाहिए।

vii. परियोजना के लिए समग्र दिल से एक टीम के रूप में सहयोग की वचनबद्धता आवश्यक है।

viii. अपनी उपलब्धियों का गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों तरह से मूल्यांकन करें, ताकि उनका विद्यालय के साथियों और स्थानीय समुदाय द्वारा अवलोकन किया जा सके।

II. सम्मिलित हों और परियोजनाओं को जारी रखें:

शिक्षक या परामर्शदाता के पर्यवेक्षण के अधीन कक्षा VI-X तक से लिए गए 10-15 विद्यार्थियों का मुख्य दल

III. परियोजना में निम्न को सम्मिलित किया जाना है:

निम्न में से किन्ही दो कार्यकलापों/परियेाजनाओं का चयन करें

1. विद्यार्थियों द्वारा लिखित और निष्पादित किया जाने वाला एक नुक्कड़ नाटक/प्रहसन। विषय: **बाल श्रमिकों के लिए मानवाधिकार और सामाजिक न्याय।** समय: 12-15 मिनट। निष्पादन, विद्यालय में विशेष सभा या स्थानीय समुदाय की उपस्थिति में विद्यालय/सामुदायिक केन्द्र में हो सकता है। इसकी वीडियो प्रति तैयार की जानी है, भागीदारों के नाम सहित, कैसे समूह ने साथ काम किया और निष्पादन का प्रदर्शन किया की 500 शब्दों की रिपोर्ट रचना (हिन्दी/अंग्रजी) की हार्ड प्रतिलिपि सहित प्रेषित की जानी है। रिपोर्ट में दर्शकों की प्रतिपुष्टि अवश्य सम्मिलित कि जानी है।

2. आपूर्ति श्रृंखला में बाल मजदूर विषय पर कार्य करने के लिए विद्यालय एक मीडिया परियोजना दल तैयार करें। आपके क्षेत्र में पाए गए बाल श्रमिकों के प्रकारों की सूची से पहचान करें या अपनी स्वयं की तैयार करें। चार्ट/फ्लेक्स बोर्ड पर प्रदर्शित करें और किस प्रकार आपके और समुदाय की सहायता से उनके जीवन में सुधार हो सकता है। इस पहलू पर जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों, स्टाफ, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के न्यूनतम 1000 हस्ताक्षर होने चाहिए। स्पष्ट शीर्षक की 10 फोटोप्रतियाँ, पहचान किए गए पहलुओं तथा स्थायी परिवर्तन के लिए बच्चों की सहायता हेतु आपका विद्यालय क्या कर रहा है की 500 शब्दों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

परिधान और फैशन उद्योग	**चूड़ी उद्योग**	**गलीचा बुनाई**	**धान रोपण**	**पटाखों का निर्माण**
'बीड़ी ' **[हाथ से-रोल कर तैयार तम्बाकू] उत्पादन**	**खनन उद्योग**	**आटोमोबाइल कार्यशालाएं**	**माचिस उद्योग**	**निर्माण उद्योग**

3. विद्यार्थियों को अपने विद्यालय के माध्यम से **'बाल श्रमिकों' के लिए शिक्षा परियोजना** तैयार करनी है और जारी रखनी है, जहाँ वे विद्यालय परिसर के बाहर और अन्दर, कार्य समय के दौरान/साप्ताहान्त अनुशिक्षण या कौशल विकास का अवसर प्राप्त कर सकें, कार्यस्थलों पर मातापिता का परामर्श प्राप्त कर सकें। परियोजना को आगे बढाएं यदि आपके विद्यालय में पहले से ही कोई हो। 500 शब्दों की एक विस्तृत रिपोर्ट (कैसे दल ने

परियोजना के बारे में कार्य किया, चुनौतियों अवसरों और उनके द्वारा अवलोकित किए गए निष्कर्ष के बारे में) अधिकतम 10 फोटो प्रतियां जो स्पष्ट शीर्षक सहित, यह प्रदर्शित करें कि दल/विद्यालय क्या कर रहा है, प्रेषित करें।

IV. प्रस्तुतीकरण का तरीका:

a. प्रत्येक परियोजना रिपोर्ट की लम्बाई A4 माप के 10-15 पेजों में प्रत्येक पेज पर दोनों तरफ 20 लाइनों की लगभग 500 शब्दों में होनी चाहिए।

b. परियोजना सुन्दर प्रकार से टाइप की गई या हस्तलिखित होनी चाहिए रिपोर्ट के व्यावहारिक, विशिष्ट विचारों, फोटो प्रतियों सहित, **बिना नकल** के अच्छी तरह से लिखे गए शीर्ष सहित, घटना का नाम/तिथि/गतिविधि/ साक्षात्कार सहित संलग्न होने पर श्रेय दिया जाएगा।

c. एक विद्यालय की कोई दो प्रविष्टियां हो सकती हैं, प्रपत्र में विषय स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

रिपोर्ट/लेख, केवल हार्ड प्रतिलिपि में पूर्ण रूप से भरे गये, सत्यापित पंजीकरण फार्म (संलग्नक देखें) के साथ प्रेषित किए जाने चाहिए। फोटो प्रतियों की सीडी में विद्यालय का पूर्ण नाम तथा परियोजना/घटना की विषय वस्तु सहित चिह्नित किया जा सकता है। सभी प्रविष्टियां 26 अगस्त 2016 को या उससे पूर्व निम्न पते पर भेजी जानी है:

सुश्री पी राजेश्वरी, शिक्षा अधिकारी [शैक्षणिक]
शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू
नई दिल्ली - 110 002।
इसके बाद प्राप्त प्रविष्टियों को अवैध माना जाएगा

बोर्ड द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया जाएगा। निम्न मापदण्डों के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे:

प्रक्रिया	विद्यार्थियों का सम्मिलित होना	परियोजना/प्रहसन की संवहनीयता/प्रभाव	ठोस परिणाम	साक्ष्यों की समग्र रूप से गुणवत्ता

परिणाम के.मा.शि.बो. की शैक्षणिक वैबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। प्रत्येक परियोजना में शीर्ष 30 प्रविष्टियों को बोर्ड द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

बाल मजदूरी को हटाने हेतु तथा इस पहलू पर अपने हितधारकों, स्थानीय समुदाय सहित में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा उनकी संलिप्तता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रमुखों से विद्यालय की परियोजना को विस्तृत प्रचार का अनुरोध किया जाता है। अन्य स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो कृपया सुश्री पी राजेश्वरी, शिक्षा अधिकारी, (शै) **rajeswary.cbse01@gmail.com** पर लिखें।

सुगंध शर्मा

(सुगंध शर्मा)
अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)